फौजदारी परिवाद संख्या–923 वर्ष 2022
जवाहर सिंह बनाम सुरेन्द्र सिंह

दिनांक–10.05.2025

राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ संख्या–30

आज यह परिवाद संख्या **923 वर्ष 2022 जवाहर सिंह बनाम सुरेन्द्र सिंह** अन्तर्गत धारा 138 एन०आई०एक्ट **थाना विकासनगर** संदर्भित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ।

उक्त वाद में परिवादी द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांकित 23.12.2024 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उभयपक्ष्य का आपसी समझौता हो गया है, जिस कारण परिवादी उक्त वाद पर बल नहीं देना चाहता है। अतः उक्त परिवाद को निस्तारित किए जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थनापत्र पर परिवादी की शिनाख्त उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष की जा चुकी है।

धारा 138 एन०आई०एक्ट का अभियोग शमनीय प्रकृति का है तथा परिवादी द्वारा परिवाद पर बल न दिए जाने का कथन किया गया है। ऐसी परिस्थिति में परिवाद में अग्रिम कार्यवाही किए जाने का कोई आधार नहीं है। फलस्वरूप परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के आधार पर परिवाद समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय ''**मध्यप्रदेश लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम प्रतीक जैन निर्णय दिनांकित 10.09.2014**'' के आलोक में शमन शुल्क को माफ किया जाता है। परिणामस्वरूप उक्त के प्रभाव में अभियुक्त **सुरेन्द्र सिंह** को उपरोक्त मामले में धारा 138 एन०आई०एक्ट के अभियोग से दोषमुक्त किया जाता है।

तद्नुसार मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार फौजदारी अभिलेखागार संचित की जाए।

हस्ताक्षर सदस्य

(बिन्दु राज),
सदस्य/अधिवक्ता,
विकासनगर, देहरादून।

हस्ताक्षर अध्यक्ष,

(निशा देवी),
अध्यक्ष/सिविल जज (जू0डि0),
विकासनगर, देहरादून।

दिनांक–10.05.2025